

5-11-19

पत्रावली भेज दई। पत्रकारान वकालत उपर
 वकील प्रार्थी ने T.I. प्राप पर को आगे
 नही चलाने हेतु निवेदन किया है एवं इस
 बाबत Not Press भी किया है अतः
 प्रार्थी का T.I. प्रार्थना पर Not Press
 में रखा है किया गया। पत्रावली के
 शुमार होकर ईर् बम्बद से कर हो।
 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
 गया।

Note Press
 5/11/19

क्रि
 उप प्रधान अधिकारी
 सौर लेक

